परियोजना का नाम

कार्य का नाम :–राष्ट्रीय मार्ग संख्या–92 (नया नाम–रा0मा0 सं0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज कि0मी0–60.00 (एस0एस0पी0 चौराहा)से 69.850 (यमुना पुल) तक के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

Executive Engineer
N.H. Div. P.W.D. Etawah

कार्य का नाम :–राष्ट्रीय मार्ग संख्या–92 (नया नाम–रा0मा0 सं0–719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग के चैनेज कि0मी0–60.00 (एस0एस0पी0 चौराहा) से 69.850 (यमुना पुल) तक के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

प्रस्तावक का नाम :–अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा।

पता :– कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, (एस0एस0पी0 चौराहा) के पास इटावा, पिन कोड–206001

मोबाइल नं0– **07830480275**

Executive Engineer
N.H. Div. P.W.D. Etawah

लागत लाभ विश्लेषण संबन्धी प्रमाण पत्र

जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0-92 (नया रा0मा0 सं0-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर जनहित में लाभकारी है। विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

DETAIL OF IMPACTED AREA (PROTECTED FOREST) FROM KM. 60.000 TO KM. 69.850 OF N.H. - 92, DISTRICT - ETAWAH

S.No.	Chainge (In K.M.)		Distance (In Mtr.)	Forest Edge line to be used from center line (In Mtr.)		Width of Exiting Carriage way from CL (In Mtr.)		Width of Plant Strip To be used (In Mtr.)		Area of Land Strip to be used (In Sqm.)		Total Area	Remark
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	From	To		L	R	L	R	L (4-6)	R (5-7)	L (8x3)	R (9x3)	(10+11)	Proposed
1	59.900	60.031	131	10.50	7.50	7.50	7.50	3.00	0.00	393.00	0.00	393.00	Pared Chhavani
2	60.031	60.200	169	7.50	6.00	7.50	4.50	0.00	1.50	0.00	253.50	253.50	Pared Chhavani
3	60.200	60.407	207	7.50	6.00	7.50	4.50	0.00	1.50	0.00	310.50	310.50	Pared Chhavani
4	60.407	60.462	55	7.50	6.00	7.50	4.50	0.00	1.50	0.00	82.50	82.50	Pared Chhavani
5	60.462	61.000	538	9.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	1076.00	1076.00	2152.00	Pared Chhavani
6	61.000	62.300	1300	12.00	12.00	10.00	10.00	2.00	2.00	2600.00	2600.00	5200.00	Pared Chhavani
6	62.300	63.950	1650	12.00	12.00	6.25	6.25	5.75	5.75	9487.50	9487.50	18975.00	Sarai Dayanat/Bulaki pur Lohanna
6	63.950	66.400	2450	9.00	9.00	9.00	9.00						Reserved Forest Area (Etawah Kasba)
7	66.400	66.700	300	8.00	8.00	6.50	6.50	1.50	1.50	450.00	450.00	900.00	Etawah Kasba
8	66.700	67.655	955	14.00	14.00	11.50	12.50	2.50	1.50	2387.50	1432.50	3820.00	Etawah Kasba
9	67.655	68.400	745	12.00	12.00	9.50	10.25	2.50	1.75	1862.50	1303.75	3166.25	Dhumanpura
10	68.400	69.800	1400	12.00	12.00	9.50	10.25	2.50	1.75	3500.00	2450.00	5950.00	Dhumanpura
11	69.800	69.850	50	12.00	12.00	9.70	9.60	2.30	2.40	115.00	120.00	235.00	Dhumanpura
										Total Area in Sq. Mtr.		41437.75	
										Total Area in Hact.		4.1438	

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बकेवर(?) रेंज
सा० वा० प्रभाग इटावा

सहायक वन संरक्षक
सा०वा०प्रभाग-इटावा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

अशोक कुमार
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

Encl : 07

DETAIL OF IMPACTED AREA (RESERVED FOREST) FROM KM. 60.000 TO KM. 69.850 OF N.H. - 92, DISTRICT - ETAWAH

S.No.	Chainge (In K.M.)		Distance (In Mtr.)	Forest Edge line to be used from center line (In Mtr.)		Width of Exiting ROW/Carriage way from CL (In Mtr.)		Width of Plant Strip To be used (In Mtr.)		Area of Land Strip to be used (In Sqm.)		Total Area	Remark
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	From	To		L	R	L	R	L (4-6)	R (5-7)	L (8x3)	R (9x3)	(10+11)	
1	60.031	60.200	169	7.50	9.30	7.50	6.00	0.00	3.30	0.00	557.70	557.70	Pared Chhavani
2	60.200	60.407	207	7.50	11.50	7.50	6.00	0.00	5.50	0.00	1138.50	1138.50	Pared Chhavani
3	60.407	60.462	55	7.50	11.50	7.50	6.00	0.00	5.50	0.00	151.25	151.25	Triangle Area (Pared Chhavani)
4	63.950	66.400	2450	14.50	14.50	9.48	9.50	5.02	5.00	12299.00	12250.00	24549.00	4.65 Hec. transferred in 1977 (Etawah Kasba)
5	66.400	66.700	300	11.75	11.75	8.00	8.00	3.75	3.75	1125.00	1125.00	2250.00	Etawah Kasba
6	66.700	66.765	65	14.00	16.50	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	162.50	162.50	Etawah Kasba
7	66.765	67.655	890	14.00	16.50	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	2225.00	2225.00	Dhumanpura
8	67.655	68.400	745	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Abadi Area (Dhumanpura)
9	68.400	69.450	1050	12.00	14.75	12.00	12.00	0.00	2.75	0.00	2887.50	2887.50	Dhumanpura
10	69.450	69.800	350	14.75	14.75	12.00	12.00	2.75	2.75	962.50	962.50	1925.00	Dhumanpura
11	69.800	69.850	50	14.75	14.75	12.00	12.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	Abadi Area (Dhumanpura)
										Total Area in Sq. Mtr.		35846.45	
										Total Area in Hact.		3.5847	

Encl : 07 E E

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बढ़पुरा रेंज
सा० वा० प्रभाग इटावा

सहायक वन संरक्षक
सा०वा०प्रभाग-इटावा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

1

1

संलग्नक–8

संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

दिनांक 07.03.2015 क्षेत्रीय वन अधिकारी, बढपुरा रेन्ज, इटावा एवं सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा के साथ प्रस्तावित राष्ट्रीय मार्ग सं0.92 (नया रा0मा0 सं0.719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 59.900 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संरक्षित वन भूमि एवं आरक्षित वन भूमि में **964** वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

क0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग का प्रस्तावित चैनेज	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0)	वन मण्डल	वन रेन्ज	प्रभावित आरक्षित वन क्षेत्र (हे0में)	प्रभावित संरक्षित वन क्षेत्र (हे0में)	कुल प्रभावित वन क्षेत्र (हे0में)
1	राष्ट्रीय मार्ग सं0.92	59ण900 से 69ण850	9ण950	इटावा	बढपुरा	**3.5847**	**4.1438**	**7.7285**

07/3/15

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बढपुरा रेन्ज,
इटावा

क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं०-92 (नया रा०मा० सं०-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि०मी० 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु **4.1438** है० संरक्षित वन भूमि एवं **3.5847** है० आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन (वन) के शासनादेश सं०–1938/14-2-2002-405(L)/2001 दिनांक 16.07.2002 के बिन्दु सं०–3 के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के समय–समय पर होने वाले निर्णयों/शासनादेशों तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यथावश्यक मांग के अनुरूप धनराशि अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, इटावा के द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी
इटावा

संलग्नक–12

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0-92 (नया रा0मा0 सं0-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु **4.1438** है0 संरक्षित वन भूमि एवं **3.5847** है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रकरण में हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा के द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

मानक शर्तो सम्बन्धी प्रमाण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शर्ते अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा को मान्य है।

मानक शर्ते

(वन अनुभाग – 3, उ0 प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14–3–1980/82 दिनांक 31.12.85 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथ इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भ्व होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/ पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलबध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर ”एलाइनमेंट“ तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श “अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा” द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में “प्रमुख अभियन्ता,

लो0नि0वि0, उ0प्र0" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड़ तथा तीन वर्श तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकार बांज ( ) के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक भार्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मैं राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, उ0प्र0 का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि "अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा" को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

संलग्नक–14

निर्माण कार्य प्रारभ्भ नही किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं०-92 (नया रा०मा० सं०-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि०मी० 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही किया गया हैं। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण का कार्य शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
इटावा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0.92 (नया रा0मा0 सं0.719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के निर्माण के दौरान जितने वृक्षों का पातन होगा उनकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनः वृक्षारोपण हेतु जो व्यय वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा द्वारा देय होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मार्ग के निर्माण से होने वालेवृक्षों का निस्तारण किसी कारण वन विभाग द्वारा न हो तो उन वृक्षों का मूल्य बाजार भाव से कार्य करने से पूर्व वन विभाग को भुगतान करेगा।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची

जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं०-92 (नया रा०मा० सं०-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि०मी० 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना जनपद इटावा के अन्तर्गत विकासित की जा रही है, जिससे आवागमन में बेहतर यातायात साधन सुविधा होगी, क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा एवं आमदनी बढ़ेगी। राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर बसे अनेक ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा। संबंधित सड़क के किनारे बसे होने के कारण सभी ग्रामो में रहने वाले सभी परिवार एवं संपूर्ण जनसंख्या लाभान्वित होगी।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्नवत् है,

1. *परेड छावनी*
2. *सराय दयांक*
3. *बुलाकीपुर लुहन्ना*
4. *इटावा कस्बा*
5. *धुमनपुरा*

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
इटावा

संलग्नक–17

राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0-92 (नया रा0मा0 सं0-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रकरण में वनभूमि के समीप अथवा 10 कि0मी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य / रिजर्व बाघ / हाथी कोरीडोर नही हैं।

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

तिथि :

स्थान : इटावा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

वनस्वरूप क्षेत्रो सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0-92 (नया रा0मा0 सं0-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु **4.1438** है0 संरक्षित वन भूमि एवं **3.5847** है0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में उक्त वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित ''वनस्वरुप क्षेत्रो'' की कोई भूमि सम्मिलित नही हैं।

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

तिथि :
स्थान : इटावा

संलग्नक–19

भूमि–स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद इटावा में राष्ट्रीय मार्ग सं0-92 (नया रा0मा0 सं0-719) बेवर–इटावा–ग्वालियर मार्ग का 2 लेन से 4 लेन में विस्तारीकरण के खण्ड कि0मी0 60.000 से 69.850 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु **4.1438** है0 संरक्षित वन भूमि का भू–स्वामित्व राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा का ही है। एवं **3.5847** है0 आरक्षित वन भूमि का भू–स्वामित्व सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा का है।

तिथि :

स्थान : इटावा

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

संलग्नक–20

"टास्क फोर्स" की संस्तुति का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित "टास्क फोर्स" की संस्तुति "अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा" को मान्य होगी।

(अशोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा

तिथि :

स्थान : इटावा

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from National Highway Division, PWD, Etawah for diversion (under FCA-1980) of 7.7285 hec. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of four lane widening of National Highway No. 92 (New NH-719) from chainage 60+000 to 69+850 of Bewar-Etawah-Gwalior Road in Etawah. The site inspection of land involved in the proposal has been done by me on dated 7/3/15

On inspection of site ,it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Protect forest measuring 7.7285 hec.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. NIL

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monumentis located in the area. If so, the details thereof with NOC form competent authority, if required. NIL

a. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 and no work has beenstarted without proper sanction.
b. It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter-1 ; para C of handbook of (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place Etawa

Divisional Forest Officer

Social Forestry Division

Etawah

N.B. X state the purpose for witch the forest land is proposed to be diverted.

XX out of (a) and (b) tick the option witch is applicable and cross the option witch is not applicable.

As per letter no. 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving than 40 hec. of forest land, the site inspection report from DCF is required and proposal involving more than 40 hec of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.